न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार
अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड–800015
दूरभाष सं0–0612–2215041, 2215152, email - scdisability2008@gmail.com

पत्रांक- 702/आ·नि·श·

दिनांक 24 जून'19

24.6.19

आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा–82 के अन्तर्गत

वाद सं0–04/2019

प्रकरण:- **श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री+2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना में नि:शक्त छात्र/छात्राओं के नामांकन/निबंधन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।**

बनाम:– (1) प्रधानाध्यापक, श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री+2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना।
(2) जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना।
(3) निदेशंक, माध्यमिक शिक्षा, पटना।

वाद सं0-04/2019

(1) पहली आदेश की तिथि - 24.06.2019

संदर्भित वाद : सुनवाई हेतु उपस्थित किया गया।

याची आयुक्त द्वारा निर्गत नोटिस के अनुपालन में प्रधानाध्यापक, श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री +2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना उपस्थित हो कर लिखित प्रतिवेदन समर्पित करते है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से निर्गत पत्र (ज्ञापांक सं0–1961, दिनांक–31.05.2019) जो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार पटना को सम्बोधित है कि एक प्रति उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा पटना के द्वारा उक्त पत्र पर क्या संज्ञान लिया गया है, इस आशय का प्रतिवेदन वाद की अगली सुनवाई स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। साथ ही जिले में संचालित सरकारी एवं गैर–सरकारी विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षा, शिक्षक की उपलब्धता, बाधारहित वातावरण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–3, 16, 17, 18, 31 एवं धारा–40 के आलोक में विस्तृत प्रतिवेदन भी उपस्थित होगे।

प्रधानाध्यापक, श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री +2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना की ओर से समर्पित प्रतिवेदन असंतोषजनक है उनकी ओर से स्पष्ट एवं विस्तृत समर्पित करने हेतु समय की माँग की गई है जिससे स्वीकार किया जाता है। यह भी निदेशित किया जाता है कि वे प्रतिवेदन में इस बात को समाहित करेंगे कि किन परिस्थितियों में दिव्यांग बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं लिया गया है, साथ ही अगले वित्तीय वर्ष में इस प्रकार के बच्चों के नामांकन हेतु उनकी भूमिका क्या होगी। प्रतिवेदन में प्रधानाध्यापक इस बात को भी समाहित करेंगे कि इन बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षकों की क्या व्यवस्था है तथा विशेष शिक्षक प्रतिनियुक्ति हेतु अब तक उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं।

वाद की अगली सुनवाई दिनांक–01.07.2019 को अपराह्न 02.00 बजे निर्धारित की जाती है।
आदेश की प्रति सम्बन्धित पक्षकारों को निर्गत करें।

Received
24/6/19

24.06.19
(डॉ0 शिवाजी कुमार),
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।